ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 55-56**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

पंचायतों में महिला नेतृत्व की सहभागिता

डॉ0 उमा शंकर सिंह

असि0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, के0बी0पी0जी0 कालेज, मीरजापुर (उ0प्र0) भारत

Received-07.09.2025, Revised-14.09.2025, Accepted-21.09.2025 E-mail :aaryvart2013@gmail.com

सारांशः पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं की भागीदारी से देश के निचले स्तर का लोकतंत्र बदल रहा है। अब महिलाएं सामाजिक बाधाओं को तोड़कर नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण विकास में अपने योगदान को साबित कर रही हैं। महिला नेतृत्व ग्रामीण समाज में परिवर्तन के वाहक के रूप में कार्य कर रही हैं। ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता एवं उनमें बदली जागरूकता के कारण परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में काफी बदलाव आया है। जिससे महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिला है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता को जानने का प्रयास किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– पंचायत, महिला नेतृत्व, सहभागिता, पंचायती राज, आरक्षण, सामाजिक बाधा, लोकतंत्र, ग्रामीण विकास, आयाम।

प्रस्तावना– महिलाएँ भारत की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना सम्भव नहीं है। वैदिक काल से ही समय–समय पर कुशलता के साथ शासन व्यवस्था में महिलाओं ने अपने नेतृत्व को स्थापित किया है। आज की महिलाएँ इस गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण विकास में अपने योगदान को साबित कर रही हैं। पंचायतों में महिला नेतृत्व से महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिला है। गृहणी महिलाएँ अब राजनीतिक महिलाएँ बन कर उभरी हैं। जिससे एक बात तो निश्चित हो जाती है कि वे अब समाज द्वारा बनायी गयी कठोर सीमाओं को लॉघकर ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही हैं।

भारत में पंचायती राज प्रणाली देश की शासन संरचना का एक अनोखा और अपरिहार्य हिस्सा है, जिसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। 73 वॉ संविधान संशोधन, 04 अप्रैल 1993 को लागू होने के पश्चात् उसके अनुरूप उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया गया। जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उ0प्र0 क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन करके प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) की शुरूआत की गयी। जिसमें महिलाओं के लिए कुल सीटों (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटे शामिल हैं) में से प्रत्येक स्तर के पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों के कुल पदों में से कम से कम एक तिहाई पद आरक्षित किये गये। यह आरक्षण विभिन्न पंचायतों में रोटेशन के आधार पर लागू किया गया। इस प्रकार पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करके ग्रामिण नेतृत्व में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित की गयी, जो चुनाव प्रक्रियों महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से पंचायतो में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक अनूठा प्रयास था। जिससे पंचायतों में निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित दोनों रूपो में महिलाओं भागीदारी बढ़ रही है।

पद्धतिशास्त्र– प्रस्तुत शोध–पत्र "पंचायतों में महिला नेतृत्व की सहभागिता " तथ्य संकलन के द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण एवं स्तरीय साहित्यों–जर्नल, शोध प्रबन्ध, पुस्तकों, शोध– प्रपत्रों आदि का प्रयोग कर उसमें उपलब्ध कथनों, तथ्यों एवं आकड़ो के आधार पर शोध–पत्र के उद्देश्य के अनुरूप एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जिसके लिए वर्णात्मक शोध प्रारूप को आधार बनाया गया है। जिसका प्रमुख उद्देश्य उ0प्र0 के पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागीता को जानने का प्रयास किया गया है।

पंचायतों में महिला नेतृत्व की सहभागिता– जब 73 वॉ संविधान के माध्यम से देश में स्थानीय स्वशासन की सुरूआत की गयी तो यह महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश में लागू हुई नयी पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार पंचायतो का पुर्नगठन कर सातवॉ पंचायत चुनाव वर्ष 1995 में सम्पन हुआ जो प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर हो रहा है। इस सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों (वर्ष 2010, 2015 एवं 2021) में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का विवरण इस प्रकार है:

तालिका–1

उ0प्र0 पंचायती राज संस्थाओं के विगत तीन चुनावों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत–

चुनाव वर्ष	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
2010	36.75
2015	46.00
2021	53.7

तालिका–2

उ0प्र0 पंचायती राज संस्थाओं के विगत तीन चुनावों में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत–

	पद		
चुनाव वर्ष	ग्राम प्रधान	ब्लाक प्रमुख	जिला पंचायत अध्यक्ष
2010	38.29	38.43	39.9
2015	43.8	51.1	59.5
2021	53.7	54.2	56

उपरोक्त तालिका के आकड़ो एवं अन्य द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त कथनों, निष्कर्षो एवं तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि:

• नयी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधानों के फलस्वरूप राजनीतिक रूप से पंचायती संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ रही है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.- IV, Issues-38, YEAR- Oct.-Dec.2025

• उ0प्र0 के वर्ष 2021 चुनाव में 53.7 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान, 54.2 प्रतिशत ब्लाक प्रमुख तथा 56 प्रतिशत जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं जो यह दर्शाते है कि पंचायती चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय पंचायतों के प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सशक्त बना रहा है।

• सामान्यतः वंचित वर्गो, विशेष रूप से पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लिंग न्याय की अवधारणा को मजबूती प्रदान किया है।

• पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ है और नई चेतना का सूत्रपात हुआ।

• 73वॉ संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद गृहणी महिलाएँ अब राजनीतिक महिलाएँ बन गयी हैं। पंचायतों में महिलाओं का प्रवेश–ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उन्हें निर्णायक प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में शामिल कर चुका है। यह अलग बात है कि उनके पति, पिता, श्वसुर, भाई या अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें ये भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया हो या वे केवल नाम मात्र की जिम्मेदारियां निभा रही हो, जिससे एक बात तो निश्चित हो जाती है कि महिलाओं ने समाज द्वारा बनायी गयी कठोर सीमाओं को घरों से लाँघकर पार कर लिया है।

• पंचायती राज संस्थाओ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबन्दी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएँ निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए ढ़ंग से गढ़ रही है। यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अच्छे नतीजे रहे हैं। क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनीतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों के प्रभावी समर्थक भी बनी है।

• पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उनमें बढ़ती जागरूकता के कारण परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में काफी बदलाव आया है।

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को होने वाली कठिनाइयों– पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो प्रमुखतः इस प्रकार हैं:

• पंचायती चुनाव के कई क्षेत्रों में यह देखा गया कि महिला सीट आरक्षित होने के कारण समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी पत्नी, बहन, मॉ अथवा किसी अन्य सम्बन्धि महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ाकर देते है। जो निर्वाचित होने के बाद उन्ही के इशारे पर काम करने को विवश होती है।

• पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है।

• पुरूष प्रधान समाज के कारण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के प्रति नकारात्मक सार्वजनिक राय का बनी हुई है।

• ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा या शिक्षा निम्न स्तर का होना नेतृत्व हेतु एक बड़ी वाधा है।

पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं की प्रभावी भागीदारी हेतु सुझाव– निर्वाचित महिलाओं की प्रभावी भागीदारी हेतु निम्नलिखित दिये जा सकते है:

• राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतिनिधियों के प्रति पुरूष समाज की रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी।

• ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा राजनीतिक मुद्दो के बारे में शिक्षित करके उनको सशक्त भूमिका हेतु प्रेरित करना चाहिए।

• पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मान और अधिक वित्तिय पुरस्कार योजनाओं का प्रावधान होना चाहिए।

• सरकार को महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए और उन्हें पुरूष प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक अधिकार देने चाहिए तथा उन्हें अधिकारों के बार में शिक्षित करना चाहिए।

निष्कर्ष– 73वॉ संविधान संशोधन के अनुरूप जब उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 में समाज के कमजोर वर्गो की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया इन संस्थाओं में महिलाओं को इतना अधिक प्रतिनिधित्व पंचायती राज के इतिहास में पहले नहीं था। महिलाओं को आरक्षण की इस व्यवस्था ने ग्रामीण नेतृत्व में इनकी भागीदारी सुनिश्चित किया है। जिसके फलस्वरूप वे राजनीतिक रूप से सशक्त बनी है। जिनसे इनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उनमें बढ़ती जागरूकता के कारण परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में काफी बदलाव आया है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामवन्दी की प्रक्रिया को तेजी दी हैं और महिलाएँ निजी और सार्वजनिक स्थानों पर अपनी भूमिका नए ढ़ंग से गढ़ रही हैं तथा ग्रामीण विकास में अपने योगदान को साबित कर रही हैं। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने लिंग न्याय की अवधारणा को मजबूती प्रदान किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रावत, हरिकृष्ण (2013). सामाजिक शोध की विधियाँ. जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
2. महिपाल (2004). पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएँ. नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास. भारत।
3. तुतेजा, कुल भूषण (2025). पंचायती राज संस्थाएं: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना. कुरूक्षेत्र. जुलाई 2025. पृष्ठ 24–27.
4. बघेल, एस.पी. सिंह (2025). महिला नेतृत्व को सशक्त करती पंचायती राज व्यवस्था. कुरूक्षेत्र. अप्रैल 2025. पृष्ठ 05–08.
5. भट्ट, आशीष (2006). तृणमूल स्तर पर सामाजिक न्याय एवं पंचायतों की भूमिका. कुरूक्षेत्र. अगस्त 2006. पृष्ठ 21–23.
6. शर्मा, राकेश (2006). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका. कुरूक्षेत्र. अगस्त 2006. पृष्ठ 19–20.
7. सिंह, निर्मला (2006). राजस्थान में पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण. कुरूक्षेत्र. अगस्त 2006. पृष्ठ 35–36.
8. सिंह, उमाशंकर (2008). पंचायती राज व्यवस्था एवं सामाजिक सर्घष : एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन (अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध प्रबन्ध). म.गां.काशी विद्यापीठ वाराणसी।
9. https://panchayatiraj.up.nic.in/
10. https://sec.up.nic.in/site/

*****